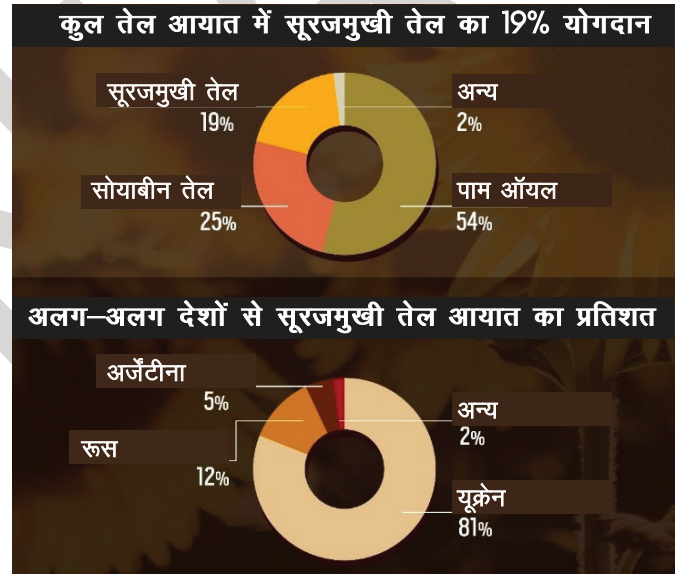


न्यूज़ टुडे

सरकार खाद्य तेल के आयात विकल्पों पर विचार कर रही है

- यूक्रेन से सूरजमुखी के तेल की कम आपूर्ति की चिंताएं व्याप्त हो गई हैं। इस कारण सरकार दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से आयात के लिए वार्ता कर रही है।
 - भारत सूरजमुखी के तेल का अपना अधिकांश हिस्सा यूक्रेन व रूस से आयात करता है। इस क्षेत्र में चल रहे युद्ध के कारण इसकी आपूर्ति बाधित हुई है।
- भारत में खाद्य तेल का आयात
 - भारत में खाद्य तेल का घरेलू उत्पादन, इसकी कुल मांग के 30 प्रतिशत से कुछ अधिक को ही पूरा करता है। ऐसे में खाद्य तेल का आयात जरूरी हो जाता है।
 - वर्ष 2019 में, भारत के कृषि आयात बिल में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी खाद्य तेल आयात की थी।
- सुझाव
 - अर्जेंटीना से सूरजमुखी तेल आयात करने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
 - किसानों को नई किस्मों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों तक पहुंच प्रदान करने की भी जरूरत है।
 - चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल आदि जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।
- खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलें
 - राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन- वर्ष 2021.
 - खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क लगाए गए हैं।
 - सरकार ने घरेलू खाद्य तेल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कच्चे पाम ऑयल (CPO) हेतु कृषि उपकरण को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है।



राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस जारी किया गया

- इस एटलस का शीर्षक "राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और आकलन (National Wetland Inventory and Assessment)-2006-07 तथा 2017-18" रखा गया है।
- इसे इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (Space Applications Centre: SAC) ने तैयार किया है। इसमें पिछले एक दशक में देश भर की आर्द्रभूमियों में हुए परिवर्तनों को दर्शाया गया है।
 - मूल एटलस को SAC ने वर्ष 2011 में जारी किया था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सभी राज्य सरकारों ने अपनी योजना प्रक्रियाओं में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया है।
- मुख्य निष्कर्ष
 - राष्ट्रीय स्तर पर, देश की सभी आर्द्रभूमियों का कुल क्षेत्रफल 15.98 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 4.86 प्रतिशत है।
 - आर्द्रभूमि के अलग-अलग प्रकारों में कुल आर्द्रभूमियों का एक तिहाई से अधिक हिस्सा नदियों (35.2 प्रतिशत) द्वारा कवर किया गया है। वहीं लगभग अन्य 43 प्रतिशत आर्द्रभूमि क्षेत्र संयुक्त रूप से जलाशयों (17.1 प्रतिशत) द्वारा कवर किया गया है।
 - पिछले एक दशक में आर्द्रभूमि क्षेत्र में अधिकांश वृद्धि अंतर्देशीय मानव निर्मित (81.5 प्रतिशत) और तटीय कृत्रिम (17.0 प्रतिशत) श्रेणियों में दर्ज की गयी है।
 - तटीय प्राकृतिक आर्द्रभूमियों में कमी आई है। ये अधिकांशतः तटीय मानव निर्मित श्रेणियों में रूपांतरित हो गई हैं।
 - मैंग्रोव क्षेत्र और प्रवाल भित्तियों के क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गयी है।

○ आर्द्रभूमियों के बारे में

- रामसर अभिसमय के अनुसार प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी दलदली; पंकभूमि; पीटभूमि या जलीय क्षेत्र (जिसका जल ठहरा या बहता हुआ, ताजा, खारा या लवणीय है) को आर्द्रभूमि कहा जाता है। इसमें समुद्री जल के उन हिस्सों को भी शामिल किया गया है, जिनकी निम्न ज्वार के दौरान गहराई छह मीटर से अधिक नहीं है।
- भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 लागू किए गए हैं।

बाघों की कितनी संख्या उनकी अधिकता को दर्शाती है

- हाल ही में, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के शुरुआती निष्कर्षों से पता चलता है कि सुंदरबन में बाघों का घनत्व संभवतः इन मैंग्रोव वनों की वहन क्षमता की सीमा तक पहुंच गया है।
 - वर्ष 2018 की अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट में सुंदरबन में प्रति 100 वर्ग कि.मी. में "लगभग 4 बाघों" के पर्यावास की क्षमता निर्धारित की थी। किन्तु, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा किए गए इस अध्ययन में 3 से 5 बाघों के घनत्व का संकेत मिलता है।
- वहन क्षमता (Carrying capacity) को किसी विशेष पर्यावास में किसी प्रजाति की औसत आबादी के आकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रजातियों की आबादी के आकार पर पर्याप्त भोजन, आश्रय, जल और साथी जैसे पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है।
 - यह मानव सतत विकास के मापन और प्रबंधन के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार या मापदंड है।
- आवश्यक कदम
 - कोविड-19 के कारण आजीविका के लिए मानवीय हस्तक्षेपों में वृद्धि हुई है। इसलिए, वन के अधिकतम घनत्व को परिभाषित करने वाले नए मानदंडों को संशोधित करने की आवश्यकता है।
 - क्षति को कम करने और वन्य जीवन की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए सतत भूमि उपयोग को पर्याप्त प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है।
 - सभी टाइगर रिजर्व के बीच कार्यात्मक संबंध स्थापित किये जाने चाहिए। इससे बाघों का उनकी आबादी में स्वस्थ अन्तर्निर्माण हो सकेगा।
 - वन्यजीवों की नई प्रबंधन रणनीतियों को स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए।
- सुंदरबन के बारे में:
 - यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का पर्यावास स्थल है। यह 10,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में विस्तृत है।
 - इसका 4,000 वर्ग कि.मी. से अधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में और शेष बांग्लादेश में है।
 - यह एक बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है।
 - वर्ष 1987 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।



सूर्य के समस्त क्रोमोस्फीयर में प्लाज्मा जेट की घटना हेतु उत्तरदायी विज्ञान का पता लगाया गया

- प्लाज्मा जेट सूर्य के वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर में लगभग समस्त क्षेत्र में मौजूद होते हैं। इन प्लाज्मा जेट में विद्युत आवेशित कण होते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है।
 - ये जेट या स्पिक्यूल्स (spicules) एक पतली घास जैसी प्लाज्मा संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं।
 - ये सूर्य की सतह से बाहर की ओर लगातार उठते रहते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण पुनः सतह की ओर आ जाते हैं।
 - वैज्ञानिकों ने सूर्य पर 'स्पिक्यूल्स' की उत्पत्ति की व्याख्या की है। इस व्याख्या हेतु वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्रयोगशाला के प्रयोगों को एक समरूपता (analogy) के रूप में उपयोग किया था।
- परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं:
 - सूर्य की दिखाई देने वाली सतह (प्रकाशमंडल या फोटोस्फीयर) के ठीक नीचे प्लाज्मा हमेशा संवहनीय स्थिति में रहता है।
 - यह स्थिति गर्म-सघन कोर से उत्पन्न होने वाली नाभिकीय ऊर्जा के कारण होती है।
 - संवहनीय संचलन लगभग आवधिक रूप से होता है। इन संचलन से उत्पन्न होने वाले प्रबल बल सूर्य के क्रोमोस्फीयर में प्लाज्मा पर तीव्रता से आघात करते हैं।
 - निचली परतों से उठने वाले ये प्रबल आघात क्रोमोस्फीयर में मौजूद प्लाज्मा को अल्ट्रासोनिक गति से पतले स्तंभों या स्पिक्यूल्स के रूप में बाहर की ओर धकेलते हैं।
 - इन स्पिक्यूल्स का आकार और गति अलग-अलग हो सकती है।
- हालांकि, सौर पवन में प्लाज्मा की आपूर्ति और सूर्य के वायुमंडल को 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने वाली प्रक्रियाएँ अभी भी ज्ञात नहीं हैं।



वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति पर भारत जो इक्विलाइजेशन लेवी (समकारी शुल्क) लगाता है, यह उसका एक 'संप्रभु अधिकार' है

- वित्त मंत्री ने बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति पर भारत द्वारा लगाए गए 2% इक्विलाइजेशन लेवी को उचित ठहराया है। वित्त मंत्री के अनुसार देश के भीतर परिचालन से प्राप्त राजस्व पर कर लगाना एक संप्रभु अधिकार है।
 - प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियाँ और ई-कॉमर्स कंपनियाँ, भारत से अनिवासी कंपनियों पर लगाए गए 2% इक्विलाइजेशन लेवी को वापस लेने की मांग कर रही हैं।
- एक अंतरिम उपाय के रूप में इक्विलाइजेशन लेवी की अवधारणा वर्ष 2015 में प्रस्तुत की गई थी। इसे डिजिटल लेनदेन के कारण उभरती समस्या से निपटने हेतु तीन उपायों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका प्रस्ताव आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS) परियोजना के स्तंभ-1 कार्य योजना में किया था।
- इसके बाद BEPS पर OECD/G20 के समावेशी फ्रेमवर्क में वैश्विक कर के लिए समाधान प्रदान किया गया। इसमें दो स्तंभ शामिल हैं:
 - स्तंभ-1: यह लगभग 100 सबसे बड़ी और सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों (20 अरब यूरो से अधिक का वैश्विक कारोबार और 10% से अधिक का मुनाफा) पर लागू होता है। यह कंपनियों के मुनाफे का कुछ भाग उन क्षेत्राधिकार में साझा करता है, जहाँ वे अपना उत्पाद बेचती हैं या अपनी सेवाएँ प्रदान करती हैं।
 - स्तंभ-2: यह बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जैसे कि 750 मिलियन यूरो से अधिक वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों पर लागू होता है। यह कंपनियों को वर्ष 2023 से 15% के वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में लाता है।

○ BEPS बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कर चोरी या अपवंचन संबंधी रणनीतियों को संदर्भित करता है। इसके तहत ये कंपनियाँ कर का भुगतान करने से बचने के लिए कर नियमों में व्याप्त खामियों एवं परस्पर-विरोधी प्रावधानों का लाभ उठाती हैं।

वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत, बांग्लादेश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को आगे बढ़ाना चाहता है।

- दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) समझौता वर्ष 2006 में लागू किया गया था। यह व्यापार हेतु प्रशुल्क व्यवस्थाओं को नियंत्रित करता है। इस समझौते के तहत पहले से ही भारत और बांग्लादेश के बीच वस्तु व्यापार समझौता अस्तित्व में है।
 - SAFTA के तहत, भारत ने शराब और तंबाकू को छोड़कर सभी वस्तुओं पर बांग्लादेश को 'शुल्क-मुक्त कोटा-मुक्त' पहुंच प्रदान की है।
- व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) का महत्व
 - बांग्लादेश, दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। दोनों देशों के बीच पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है।
 - वर्ष 2021 में, बांग्लादेश के साथ व्यापार में निर्यात का लगभग 3.3 प्रतिशत हिस्सा (9.7 अरब डॉलर) और आयात का लगभग 0.3 प्रतिशत हिस्सा (1.3 अरब डॉलर) था।
 - पिछले एक दशक में बांग्लादेश द्वारा भारत को किए गए निर्यात में तीन गुना वृद्धि हुई है।
 - भारत से बांग्लादेश को किए जाने वाले शीर्ष निर्यात में कपास, अनाज, ईंधन, वाहन के पुर्जे, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण शामिल हैं।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने के लिए चार फोकस क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है:
 - बाधा रहित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना।
 - दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
 - कपड़ा, जूट उत्पाद, चमड़ा और जूते, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे निवेश के संभावित क्षेत्रों की क्षमता का उपयोग करना।
 - दोनों देश टीकों और अन्य दवाओं के संयुक्त विनिर्माण के साथ 'विश्व की फार्मसी' बन सकते हैं।

अन्य सुर्खियाँ

भारत के निवार्चन आयोग ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (IEVP) 2022 की मेजबानी की	○ भारत वर्ष 2012 से इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (IEVP) की मेजबानी कर रहा है। इसके तहत अंतराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को मतदान केंद्रों का दौरा करने और चुनावी प्रक्रियाओं को व्यक्तिगत रूप से व्यवहार में देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
यूरेशियाई आर्थिक संघ (EAEU)	○ यूक्रेन में युद्ध भारत एवं EAEU के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता में देरी का कारण बन सकता है। ○ EAEU, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एक अंतराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना यूरेशियाई आर्थिक संघ पर संधि द्वारा की गई है। ➤ EAEU वस्तु, सेवाओं, पूंजी और श्रमिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यह अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में एक समन्वित या एकीकृत नीति का भी संचालन करता है। ➤ सदस्य राष्ट्र: इसके सदस्य राष्ट्रों में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस शामिल हैं।
स्टार्ट अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (Start Up Village Entrepreneurship Programme - SVEP)	○ राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NIESBUD, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह समझौता SVEP की शुरुआत करके जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक सतत मॉडल विकसित करने का प्रावधान करता है। ○ SVEP, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का एक उप-घटक है। DAY-NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संचालित होने वाला कार्यक्रम है। ➤ इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर गैर-कृषि क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का समर्थन करना है।
राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) ई-बुक लॉन्च	○ श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पर एक ई-बुक लॉन्च की है। यह ई-बुक NCS की यात्रा, प्रमुख उपलब्धियों और सफलता की कहानियों की झलक प्रदान करती है। ○ श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण के लिए NCS परियोजना को लागू कर रहा है। यह एक मिशन मोड परियोजना है। इसमें विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं जैसे जॉब मैचिंग, करियर परामर्श आदि प्रदान की जाती हैं। ➤ NCS पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाएं सभी हितधारकों के लिए निःशुल्क हैं।
SLINEX (श्रीलंका-भारत नौसेना अभ्यास)	○ भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में चल रहा है।

 महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान – “समर्थ (SAMARTH)”	○ “समर्थ” कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गयी है। इसका शुभारंभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने किया है। ○ समर्थ के तहत महिला उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे: ➤ महिलाओं के लिए निःशुल्क कौशल विकास कार्यक्रमों में 20 प्रतिशत सीटें आवंटित की जाएंगी। ➤ उद्यम पंजीकरण के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी। ➤ विपणन सहायता के लिए योजनाओं के तहत प्रदर्शनियों में शामिल होने हेतु भेजे गए MSME व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का 20 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME को समर्पित किया जाएगा।
 नारी शक्ति पुरस्कार	○ यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। ○ यह महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। इसके माध्यम से व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए असाधारण योगदान को सम्मानित किया जाता है। यह पहल महिलाओं को समाज में निर्णायक और सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में चिन्हित करती है। ➤ यह पुरस्कार किसी भी पात्र व्यक्ति और संस्थान को दिया जा सकता है।
 जन औषधि दिवस	○ जन औषधि दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके माध्यम से आम जनता को जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में शिक्षित किया जाता है। ○ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) ➤ यह औषधि विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसके तहत जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रदान की जाती हैं। ये दवाएं जन-औषधि केंद्र के रूप में चिन्हित विशेष केंद्रों से उपलब्ध करवाई जाती हैं। ○ फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI), इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।
 डोनेट ए पेंशन योजना	○ श्रम और रोजगार मंत्रालय ने “डोनेट ए पेंशन योजना” की शुरुआत की है। ➤ इस योजना के तहत कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत असंगठित श्रमिक की ओर से प्रीमियम राशि का भुगतान कर सकता है। ➤ इसके लाभार्थियों में घरेलू कामगार, ड्राइवर, सहायक, देखभालकर्ता आदि हो सकते हैं। ➤ दानकर्ता कम से कम एक वर्ष के लिए योगदान का भुगतान कर सकता है। यह भुगतान लाभार्थी की आयु पर आधारित है। भुगतान की राशि 660 रुपये से लेकर 2,400 प्रति वर्ष है।
 सुखियों में रहे व्यक्तित्व	सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ○ सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले को भारत के सामाजिक एवं शैक्षिक इतिहास में एक असाधारण दंपति के रूप में जाना जाता है। ○ योगदान: ➤ उन्होंने पूना में लड़कियों, शूद्रों और अति-शूद्रों के लिए वर्ष 1848 में एक स्कूल शुरू किया था। ➤ उन्होंने वर्ष 1853 में गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु एक शिशु देखभाल केंद्र खोला था। इसका एक और उद्देश्य सामाजिक मानदंडों के कारण शिशु हत्या की प्रथा को समाप्त करना था। ➤ उन्होंने पुणे में अपने ही घर में “बालहत्या प्रतिबंधक गृह” की स्थापना की थी। ➤ वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज ने सामाजिक परिवर्तनों का समर्थन किया था। इस समाज ने अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह आदि का समर्थन किया था। ○ मूल्य: उन्होंने महिला शिक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में कार्य किया था। साथ ही, जाति एवं लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास भी किया था।



8468022022, 9019066066



www.visionias.in



/c/VisionIASdelhi



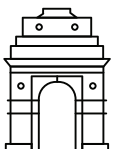
/Vision_IAS



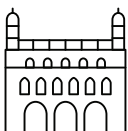
/visionias_upsc



/VisionIAS_UPSC



दिल्ली



लखनऊ



जयपुर



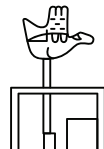
हैदराबाद



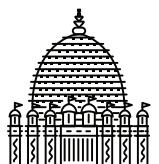
पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़



गुवाहटी